



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 कार्तिक 1942 (श10)
(सं0 पटना 847) पटना सोमवार 9 नवम्बर 2020

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

9 नवम्बर 2020

सं० : बी1-3-98/2020-69— बिहार विधान परिषद् के स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2020-कोशी स्नातक क्षेत्र के मतणना कार्य हेतु अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-155/बिहार-वि०प०/2001(1) दिनांक 23.10.2001 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव-सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/दिनांक 06 नवम्बर, 2020 कार्तिक 15, 1942 (शक)

सं० 155/बिहार-वि.प./2020 (1)—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा बिहार राज्य से परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति संबंधी समय-समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 155/बिहार-वि.प./2001(1), दिनांक 23 अक्टूबर, 2001 में निम्नलिखित और संशोधन करता है:-

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी में शीर्षक 'I-स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र'के अंतर्गत-

स्तम्भ (1) की प्रविष्टि '6-कोशी स्नातक' के सामने, स्तम्भ (2) की विद्यमान प्रविष्टियों के उपरान्त प्रविष्टियाँ नामतः, '18-नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णिया', और '19-क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया', जोड़ी जाएँगी।

आदेश से,
सुमन कुमार दास,
सचिव।

Election Commission of India

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/Dated 6th November, 2020
15 Kartika, 1942 (Saka)

No. 155/BR-LC/2020 (1) —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, hereby makes following further amendments in its Notification no. 155/BR-LC/2001 (1), dated 23rd October, 2001, as amended from time to time, relating to appointment of Assistant Returning Officers for Council Constituencies in the State of Bihar:-

In the Table appended to the said Notification, under the heading "I- GRADUATES' CONSTITUENCIES"

Against entry '6-Koshi Graduates' of column (1), the entries namely, '18. Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Purnia' and '19. Regional Planning Officer, Purnia Division, Purnia' shall be added after the existing entries of column(2).

By order,
SUMAN KUMAR DAS,
SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 847-571+50-डी0टी0पी01
Website: <http://egazette.bih.nic.in>